रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082023-248136
CG-DL-E-16082023-248136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3508] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2023/श्रावण 25, 1945
No. 3508] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2023/SHRAVANA 25, 1945

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त ,2023

का.आ. 3667(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण' (पैनः-AADAH3590A), हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संस्थापित प्राधिकरण को, उस प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) प्रयोगकर्ताओं से प्राप्त आवेदन शुल्क एवं टैरिफ फीस; और

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित के अध्यधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण:-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाईल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा यह क्रमशः वित्त वर्षों 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 63 /2023 फा.सं. 300196/8/2022-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक, आईटीए-I

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2023

S.O. 3667(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority' (PAN AADAH3590A), an Authority established by the State Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:

(a) grants received from State Government of Haryana;

(b) application fee & Tariff fee received from users; and

(c) interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority:-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2022-2023 and 2023-2024 relevant to financial years 2021-2022 and 2022-2023 respectively.

[Notification No. 63/2023/F.No.300196/8/2022-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director, ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA